सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, बीकानेर
पीठासीन अधिकारी, डॉ0राकेश कुमार शर्मा, आर.ए.एस

अपील संख्याः 06/17 **निर्णय दिनांक 5/3/2018**

1. मंजुदेवी पत्नी स्व. पवन कुमार जाति ब्राहमण निवासी दुलचासर तहसील श्रीडूँगरगढ़ जिला बीकानेर।
2. हुकमचन्द
3. प्रदीप
4. किरती

पुत्र/पुत्रियॉ स्व. पवनकुमार नाबालिगान जरिये अपनी संरक्षिका माता मंजूदेवी पत्नी स्व. पवन कुमार जाति ब्राहमण निवासी दुलचासर तहसील श्रीडूँगरगढ़ जिला बीकानेर।

–अपीलांट्स

–बनाम–

1. लिछमादेवी पत्नी स्व. छगनलाल जाति ब्राहमण निवासी दुलचासर तहसील श्रीडूँगरगढ़ जिला बीकानेर।
2. कैलाशचन्द्र पुत्र स्व. छगनलाल जाति ब्राहमण निवासी दुलचासर तहसील श्रीडूँगरगढ़ जिला बीकानेर।
3. श्रवणकुमार पुत्र स्व. छगनलाल जाति ब्राहमण निवासी दुलचासर तहसील श्रीडूँगरगढ़ जिला बीकानेर।
4. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार श्रीडूँगरगढ़ जिला बीकानेर
5. सहायक अभियंता द्वितीय जोविविनिलि, श्रीडूँगरगढ़ जिला बीकानेर।

–रेस्पोडेन्ट्स

अपील विरुद्व आदेश दिनांक 30–12–2016
उपखण्ड अधिकारी, श्रीडूँगरगढ़

उपस्थितः–

1. श्री चतुर्भज सारस्वत अभिभाषक अपीलांट
2. श्री हनुमान गोदारा, अभिभाषक अपीलांट
3. श्री नन्दराम कासनियॉ, राजकीय अभिभाषक

–निर्णय–

1. अपीलांट ने यह अपील उपखण्ड अधिकारी श्रीडूँगरगढ़ के आदेश दिनांक 30–12–2016 जिसके द्वारा रेस्पोडेन्ट का अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया गया, के विरुद्व इस न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 225 के अन्तर्गत प्रस्तुत की है ।

2. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

3. विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपनी बहस में बताया कि रेस्पोडेन्ट द्वारा अदालत मातहत के समक्ष धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर कथन किया कि वादगत् भूमि खेत खसरा नम्बर 222 तादादी 3.97 हेक्टर वाके रोही टेऊ सुडसर तहसील श्रीडूँगरगढ़ को खाताविभाजन कराये बिना विक्रय नहीं करें ना ही बेदखल करें व फसल को खुर्द–बुर्द व विद्युत कनेक्शन को विच्छेद ना करें। जिस पर अपीलांट द्वारा अपने जवाब में यह एतराज किया गया कि उक्त कृषि भूमि में उनका भी 1/5 हिस्सा निहित है जिसमें ट्यूबवैल बना हुआ है। जिसमें सभी सह खातेदारों की सहमति रही है। उक्त विद्युत कनेक्शन अपीलांट के पति/पिता पवन कुमार के नाम से था। जिसका उपयोग व उपभोग मात्र अपीलांट के द्वारा किया जा रहा है। इस प्रकार उक्त कृषि भूमि पर एकमात्र कब्जा काश्त पवनकुमार व उसके परिवार का था। पवन कुमार ने लाखों रूपये का ऋण लेकर वादगत् भूमि पर ट्यूब वैल करवाया था। पवनकुमार की मृत्यु दिनांक 02–09–2014 को हो गई थी। तत्पश्चात् अपीलांट उक्त भूमि पर ढाणी बनाकर निवास कर रहे है।

उन्होंने आगे बताया कि चूंकि उक्त भूमि को पवन कुमार द्वारा काबिल काश्त बनाया गया व ट्यूबवैल का तमाम खर्चा भी पवनकुमार द्वारा ही किया गया है ऐसी स्थिति में इसके उपभोग व उपयोग के अपीलांट अधिकारी है। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 द्वारा पवनकुमार की मृत्यु के बाद वादगत् भूमि से जबरदस्ती मारपीट कर बेदखल कर दिया गया। उक्त बाबत् थाना पुलिस श्रीडूँगरगढ़ में आपराधिक मामलें भी विचाराधीन है। रेस्पोडेन्ट संख्या उक्त टयूबवैल कनेक्शन को कटाना

चाहते है तथा ज्यादा राशि होने पर सम्पति को कुर्क करवाना चाहते है। जबकि वादगत् भूमि पर ट्यूबवैल कनेक्शन सभी पक्षकारों की सहमति से पवन कुमार के नाम से लिया गया था। उक्त विद्युत कनेक्शन के बाबत् बकाया राशि का समायोजन रेस्पोडेन्ट द्वारा नहीं किया जा रहा है। रेस्पोडेन्ट द्वारा गलत तथ्यों के आधार पर अदालत मातहत के समक्ष प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आरटीए प्रस्तुत कर अस्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त की गई है जो विधि के सर्वमान्य सिद्वान्तों के विपरीत होने से काबिज खारिज है। रेस्पोडेन्ट द्वारा ना तो अपीलांट को उसके हिस्से व कब्जे काश्त की भूमि में प्रवेश कराया जा रहा है व ना ही उनके द्वारा उक्त ट्यूबवैल के बाबत् बकाया राशि जमा करवाई जा रही है। ऐसी स्थिति में यदि सम्पति कुर्क कर दी जाती है तो अपीलांट को ना पूरा होने वाला नुकसान होगा। चूंकि अपीलांट निर्विवाद रूप से वादगत् भूमि के संयुक्त खातेदार है व विधि का यह सर्वमान्य सिद्वान्त है कि संयुक्त खातेदार को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द नहीं किया जा सकता। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार की जाकर आदेश जैर अपील खारिज फरमाया जावे।

4. विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट्स ने अपनी बहस में बताया कि वादगत् भूमि एक संयुक्त खातेदारी की भूमि है। जिस पर पवनकुमार के नाम से विद्युत कनेक्शन लिया गया था। उक्त कनेक्शन पर सभी जायज सह खातेदारों की सहमति प्राप्त की गई थी। पवन कुमार की मृत्यु के पश्चात् अपीलांट संयुक्त खातेदार के रूप में दर्ज ह। वादगत् भूमि का अभी विभाजन नहीं हुआ है। वादगत् खेत मौके पर एकल है तथा संयुक्त ही काश्त की जाती है। अपीलांटा मंजूदेवी द्वारा पवन कुमार की मृत्यु के उपरान्त बार—बार धमकाया जाता है कि ट्यूब वैल पर विद्युत कनेक्शन मेरे पति के नाम से है जिसे कटवाकर मैं तुम लोगोंको बरबाद कर दूॅगी। इस प्रकार अपीलांटा पवनकुमार के वारिसान के नाते विद्युत कनेक्शन कटवाने की कुचेष्टा में है। जबकि उक्त कनेक्शन सभी सह खातेदारों की सहमति से लिया गया था तथा वादगत् भूमि को सभी सह काश्तकारों द्वारा मिलकर काबिल काश्त बनाया गया है। यदि अपीलांट द्वारा वादगत् भूमि से विद्युत कनेक्शन को कटवाया जाता है तो सभी पक्षकारों को नुकसान होगा। चूंकि विद्युत

कनेक्शन अपीलांट के नाम से है ऐसी स्थिति में उनके द्वारा विद्युत बिल का भुगतान नहीं किया जा रहा है व विद्युत कनेक्शन उक्त राशि जमा नहीं करवाये जाने के कारण कटने के कगार पर है ऐसी स्थिति में अदालत मातहत के समक्ष अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर वादगत् भूमि के मौके व रिकार्ड की यथास्थिति का स्थगन आदेश प्राप्त किया गया है। यदि उक्त स्थगन आदेश को खारिज किया जाता है व अपीलांट द्वारा वादगत् भूमि में स्थित विद्युत कनेक्शन को कटावा दिया जाता है तो इससे सभी सह काश्तकारों को ना पूरा होने वाला नुकसान होगा। अदालत मातहत द्वारा प्रकरण की तमाम परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए ही वादगत् भूमि के मौके व रिकार्ड की यथास्थिति कायम रखे जानेके आदेश प्रदान किये है जिसमें हस्तक्षेप की आवश्यक नहीं है। अतः अपीलांट की अपील खारिज फरमाई जावे।

5. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली का विधि के परिप्रेक्ष्य में अध्ययन किया गया।

6. (1) हस्तगत् प्रकरण में वादगत् भूमि खेत खसरा नम्बर 222 तादादी 3.97 हेक्टर वाके रोही टेऊ अपीलाट व रेस्पोडेन्ट की संयुक्त खातेदारी की भूमि है। उक्त कृषि भूमि पर अपीलांट केक पति/पिता पवन कुमार के नाम से एक विद्युत कनेक्शन सभी सहखातेदारों की सहमति से लिया हुआ है।

(2) अपीलांट का कथन है कि रेस्पोडेन्ट द्वारा वादगत् भूमि से उसे बेदखल कर दिया गया व रेस्पोडेन्ट द्वारा विद्युत कनेक्शन बाबत् बकाया राशि जमा नहीं करवाई जा रही है। ऐसी स्थिति में यदि विद्युत कनेक्शन काट दिया जाता है या सम्पति को कुर्क कर लिया जाता है तो अपीलांट को अपूरणीय क्षति कारित होगी। जबकि दूसरी तरफ रेस्पोडेन्ट का कथन है कि वादगत् भूमि पर विद्युत कनेक्शन सभी सह खातेदारों की सहमति से अपीलांट के पति/पिता पवन कुमार के नाम से प्राप्त किया गया था। अपीलांट द्वारा जानबूझ कर बकाया राशि जमा नहीं करवाई जा रही है। ऐसी सिथति में यदि विद्युत कनेक्शन काट दिया जाता है तो सभी सह काश्तकारों को अपूरणीय क्षति कारित होगी।

(3) हमने पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों व अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय का अवलोकन किया। प्रस्तुत मामलें में पक्षकारों के मध्य विवाद कृषि भूमि से संबंधित ना होकर मुख्य विवाद विद्युत कनेक्शन से संबंधित है व तथाकथित विद्युत कनेक्शन के बाबत् बकाया राशि जमा नहीं करवाये जाने से संबंधित है। अदालत मातहत द्वारा उक्त विवाद् के मद्देनजर ही वादगत् भूमि के मौके व रिकार्ड की यथास्थिति कायम रखे जाने के आदेश प्रदान किये है।

(4) चूंकि पक्षकारों के मध्य विवाद वादगत् भूमि के विभाजन अथवा अन्य किसी प्रकार के बंटवारें आदि का ना होकर विद्युत कनेक्शन/बकाया राशि जमा नहीं करवाये जाने से संबंधित है जिसकी सुनवाई का क्षेत्राधिकार राजस्व न्यायालय को प्राप्त नहीं है। अदालत मातहत द्वारा अपने क्षेत्राधिकार से बाहर जाकर अपीलाधीन आदेश पारित करते हुए वादगत् भूमि के मौके व रिकार्ड की यथास्थिति कायम रखे जाने के आदेश प्रदान किये है। उक्त आदेश से राज्य को बिजली के बिल की वसूली किये जान से भी बाधित किया गया है। प्रस्तुत मामलें में जो विवाद का मुख्य बिन्दु है वह सिविल नेचर का होने से उसकी सुनवाई का क्षेत्राधिकार राजस्व न्यायालय को प्राप्त नहीं है। ऐसी स्थिति में अदालत मातहत द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश पुष्टि योग्य आदेश नहीं है।

8. अतः उक्त विवेचना के आधार पर अपीलांट्स की अपील स्वीकार की जाती है एवं उपखण्ड अधिकारी श्रीडूँगरगढ़ का आदेश दिनांक 30—12—2016 निरस्त किया जाता है

9. निर्णय आज दिनांक को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(डॉ0राकेश कुमार शर्मा)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बीकानेर